



दिनांक 19/07/2022

संख्या ई/329/ विकलांग/11

सभी विभागाध्यक्ष (मुसुआ को छोड़ कर)

अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल

चिकित्सा निदेश, लनामिरे चिकित्सालय,

उप मुई/गोरखपुर क्षेत्र,

उप मुविई/कालोनी,

प्रधानाचार्य/एसटीएस/विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/सिगनल एवं दूर संचार

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/एनई रेलवे बालक/बालिका इन्टर कॉलेज/सीसे स्कूल

मंसिदूई/सूत/टेली

अधिशासी अभियन्ता पुल कारखाना, गोरखपुर छावनी

वरिष्ठ प्रबन्धक/मु0 एवं लेखन सामग्री

महामंत्री एनई रेलवे मजदूर यूनियन


महामंत्री आल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एशोसियेशन

महामंत्री/पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एशोसिएशन।

विषय:—शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु रेल कर्मचारियों की शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग पाल्य की व्यवसायिक दक्षता को विकसित करने हेतु केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।

कर्मचारी कल्याण निधि से विषयगत निधि से विषयगत सहायता देने का निश्चय किया गया है। कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने की व्यवस्था करें। अपने अधीनस्थ कर्मचारी जिनके पाल्य शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग हो तथा व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने हेतु कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तथा उनसे संलग्न पारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रसारित करते हुए इस कार्यालय को दिनांक 31.10.2022 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि आवेदनों पर विचार कर कर्मचारी कल्याण निधि सहायता प्रदान की जा सके। एक कर्मचारी को एक वर्ष में दो विद्यार्थियों तक कर्मचारी कल्याण निधि से सहायता/ छात्रवृत्ति मिल सकती है।

संलग्नक/आवेदन पत्र का प्रारूप।


(ए.के.बसल)

सचिव/आर.आर.सी.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी कल्याण निधि से रेल कर्मचारियों के शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग पाल्य की व्यवसायिक दक्षता को विकसित करने हेतु कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा सहायता प्रदान किया जाना। (प्रमुकाधि कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि 31.10.2022 निश्चित है। उसके बाद प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा)

कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी

- 1- कर्मचारी का नाम
- 2- पदनाम
- 3- कार्यास्थल का पता
- 4- पी0बी0वेतन एवं ग्रेड पे
- 5- पी.एफ. संख्या
- 6- सेवा नियुक्ति तिथि
- 7- सेवा निवृत्ति तिथि
- 8- छात्र/ छात्रा का नाम
- 9- छात्र/ छात्रा का आवेदनकर्ता से संबंध
- 10- कक्षा जिसमे छात्र/ छात्रा अध्यनरत हैं, एवं वर्ष
- 11- शिक्षण संस्था का नाम
- 12- क्या इस छात्र/ छात्रा के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण निधि से किसी छात्र/छात्रा को कोई सहायता प्राप्त होता है ? यदि हाँ तो उसका विवरण (क्र० सं० छात्र/छात्रा का नाम कोर्स का नाम स्वीकृति धनराशि, वर्ष

नोट- विद्यालय में प्रवेश के समय जमा की गई फीस रसीद की छायाप्रति संलग्न करें। मै यह घोषणा करता हू कि उपरोक्त विवरण सत्य हैं और किसी प्रकार की असत्यता प्रमाणित होने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती हैं।

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्र/ छात्रा पास नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी के आश्रित हैं, तथा कर्मचारी द्वारा भरा गया विवरण सत्य हैं।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०

पुत्र/पुत्री

शिक्षण

संस्था के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के कोर्स का नाम

के नियमित छात्र/छात्रा हैं यह शिक्षण संस्थान

द्वारा मान्यता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

नोट- अपूर्ण आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। एक कर्मचारी दो छात्र/छात्रा तक के लिए ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। दो से अधिक पत्र प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।